



## Form 1

Maintenance of records Form of Continuous Khatian to be maintained by the Anchal Adhikari under Section 3(1)

(See Rule 4)

### Continuous Khatian

Anchal- धनबाद Rev P.S- झरिया State of- झारखण्ड Police Station- झरिया R.T.No 2 Khata Type रैयती

खाता नम्बर	रैयत का नाम, पिता का नाम एवम जाति	प्लॉट संख्या	चौहद्दी	ए	डे	हे	लगान	कैफियत / अभ्युक्ति	भाग वर्तमान/ पृष्ठ संख्या
11	अरुण कुमार गोप , पिता-शंकर गोप, जाति- ग्वाला	851		0 ऐ	16 डि	7.25 हे	3	दाखिल खारिज केस न 1217(I)06-07	1 / 11
		851		0 ऐ	16 डि	7.25 हे			
11	रजनी शर्मा , पति-रमन कुमार , जाति- ब्रहामण	851		0 ऐ	6 डि	8.91 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 427/2017 - 2018	2 / 18
11	माधुरी देवी , पति-ओमकार सिंह , जाति- कुइरी	851		0 ऐ	8.25 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 428/2017 - 2018	2 / 19
11	हरिलाल साब , पिता-किसटो साब , जाति- .	851		0 ऐ	8.25 डि	0 हे	5	नामान्तरण मुकदमा संख्या 429/2017 - 2018	2 / 20
11	मीना देवी , पति-सिया शरण प्रसाद सिंह , जाति- .	851		0 ऐ	1 डि	4.55 हे	4	Vide M/c No 2312(I)15-16	2 / 130
11	KRISHNA SINGH , पति-JAI PRAKASH SINGH, जाति- राजपुत	851		0 ऐ	6.78 डि	0 हे	4	नामान्तरण मुकदमा संख्या 1331/2017 - 2018	3 / 42

11	शंकर गोप , पिता-स्व शांति गोप , जाति- --	851		0 ऐ	2 डि	0 हे	3	दाखिल खारिज केस नं 1218(I)2006-07	3 / 108
11	तरुण कुमार गोप , पिता-शंकर गोप , जाति- --	851		0 ऐ	15 डि	7.74 हे	3	दाखिल खारिज केस नं 1446(I)2016-17	3 / 111
11	SMT ARTI KUMARI , पति-SRI KUMUD SHEKHAR KUMAR , जाति- --	851		0 ऐ	1.1 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 4126/2019 - 2020	6 / 45
11	SMT. RUCHITA KUMARI , पति-SRI SHANKAR DAYAL SINGH, जाति- --	851		0 ऐ	1.2 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 4125/2019 - 2020	6 / 47
11	SMT URMILA DEVI , पति-SRI JAI RAM YADAV, जाति- ----	851		0 ऐ	1.2 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 4114/2019 - 2020	6 / 48
11	SMT. MANJU DEVI , पति-SRI CHUMAN SINGH, जाति- --	851		0 ऐ	1.2 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 4131/2019 - 2020	6 / 49
11	SMT. SWETA SINHA , पति-MANOJ KUMAR SINHA, जाति- ----	851		0 ऐ	1.33 डि	0 हे	3	नामान्तरण मुकदमा संख्या 4288/2019 - 2020	6 / 59

यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है

7/1/2020

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।